

की क्रम
व तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गयी
टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-77 / 2019-20

1. परेशनाथ महतो, पे०-स्व० मुचीराम महतो, सा०-पोगड़ा, डाकखाना-पोगड़ा,
थाना-सिल्ली, अंचल-राहे, जिला-राँची।.....अपीलार्थी।

बनाम

1. झारखण्ड सरकार, अंचल अधिकारी, राहे।.....विपक्षी।

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, राहे के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-24 R27 / 2018-2019/ राहे में दिनांक-26.05.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
पोगड़ा	सिल्ली	47	51	166	26 डी० मध्ये 8½ डी०
चौहदी:-		उ०-नीज क्रेता, द०-सुखलाल महतो, पू०-भीम महतो वो लोहरा महतो, प०-अभिराम महतो।			

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०-24 R27 / 2018-2019/ राहे का ऑनलाईन जनित अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें अंचल अधिकारी, राहे के प्रतिवेदनानुसार आवेदन प्रज्ञा केन्द्र के द्वारा किया गया है और आवेदित भूमि CNT Act से प्रभावित है। अतः दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाता है। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त भूमि को अपीलार्थी द्वारा दिनांक-27.02.2007 को क्रय किया गया है, उस समय छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कर्मी जाति प्रभाव में नहीं था। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया एवं न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के द्वारा W.P.(PIL) No.-758/2011 में पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक-25 / 12 / 2012 से पूर्व के खरीद बिक्री पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46 1 (b) प्रभावी नहीं होगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह अपील स्वीकृत करते हुए नामांतरण हेतु निम्न न्यायालय को आदेश निर्गत करने की कृपा की जाए।

उपसमाहर्ता, विधि शाखा, राँची के ज्ञापांक-217(ii) दिनांक-31 / 01 / 2012 के द्वारा प्राप्त माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के W.P.(PIL) No.-758/2011 सालखन मुर्मू बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-25 / 01 / 2012 को पारित आदेश की प्रति जिसमें मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया एवं न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के द्वारा C.N.T. Act का सख्ती से अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं निर्देशों, विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किये गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि कथित भूमि का क्रेता-विक्रेता कर्मी जाति हैं जो C.N.T. Act से आच्छादित है। उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-46 1 (b) का उल्लंघन हुआ है। अतः उपरोक्त अपील वाद को अस्वीकृत किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।

02/03/2021